B.Com. Part I

PAPER –II[nd]

Indian Banking & Financial System

Unit-I

- **बैंक की परिभाषा –** बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता के रूप में रूपये प्राप्त करती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है यह एक प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा संरक्षण एवं निर्गमन होता है।

  "क्राउधर के अनुसार" बैंकर अपने व अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है।

  "भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949" के अनुसार बैंकिग कम्पनी वह है जो बैंकिग का व्यवसाय करें। बैंकिग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है जो मांगने पर लौटाया जा सके।

बैंक के आधुनिक कार्य

आधुनिक बैंक मुद्रा व साख का लेन–देन ही नही करते बल्कि ये अन्य अनेक कार्य जैसे Agent के रूप में, साख का निर्माण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य भी करते है।

व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है।

आधुनिक बैंकों के कार्य

(A) प्राथमिक कार्य

(1) **जमायें स्वीकार करना**
- (i) स्थायी जमा खाता
- (ii) चालू खाता
- (iii) बचत खाता
- (iv) गृह बचत खाता
- (v) अनिश्चितकालीन जमा खाता
- (vi) अन्य जमा योजनायें

(2) **ऋण अथवा उधार देना**
- (i) नकद साख
- (ii) ऋण एवं अग्रिम
- (iii) अधिविकर्ष
- (iv) विनिमय विपत्रों की कटौती

(B) अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य
- (1) चैक व साख-पत्रों का संग्रहण
- (2) चैक व साख-पत्रों का भुगतान
- (3) ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना
- (4) ग्राहकों की ओर से भुगतान करना
- (5) धन का हस्तान्तरण
- (6) अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय
- (7) प्रबन्धक, प्रन्यासी एवं निष्पादक का कार्य
- (8) अभिगोपन का कार्य
- (9) अन्य प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य

(C) सामान्य उपयोगी कार्य
- (1) धन व सम्पत्ति की सुरक्षा
- (2) यात्री चैक व साख-पत्रों की व्यवस्था
- (3) आर्थिक स्थिति की सूचना
- (4) वित्तीय सलाहकार
- (5) सूचनाओं का प्रकाशन
- (6) विनिमय-पत्रों की स्वीकृति
- (7) ऋणों की जमानत
- (8) व्यक्तिगत साख
- (9) सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था
- (10) अंश बाजार के कार्य
- (11) विदेशी विनिमय की व्यवस्था

(D) विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था

(E) साख निर्माण का कार्य

व्यापारिक /वाणिज्यिक बैंक

व्यापारिक बैंक – वाणिज्यिक बैंको से तात्पर्य उन बैंको से है जिनका भारतीय बैंकिग नियमन, अधिनियम 1949 के अन्तर्गत गठन हुआ है। इन बैंको पर RBI का प्रभावी नियंत्रण रहता है।

''किनले के अनुसार'' बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुऐ ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उसकी आवश्यकता है मुद्रा उधार देती है और जो अतिरिक्त मुद्रा को अपने पास जमा कर लेती है।

वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के है :–

1. अनुसूचित बैंक (RBI Act. 1934 की II अनुसूची में सम्मिलित है।)
2. गैर अनुसूचित बैंक (जिसे RBI Act 1934 की II अनुसूची में सम्मिलित न हो)

भारत में वाणिज्यिक बैंक का विकास –

1. सार्वजनिक बैंकिग क्षेत्र का विकास
2. अपूर्व शाखा विस्तार
3. बैंको के एकीकरण को प्रोत्साहन
4. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाएं
5. जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि
6. साज सुविधा का विस्तार
7. SLR व CRR

वाणिज्यिक बैंको की सफलता –

1. अमूतपूर्व शाखा विस्तार
2. निक्षेप में वृद्धि
3. रोजगार सृजन क्रियाएं
4. ऋण में वृद्धि
5. नवीन नीतियां

वाणिज्यिक बैंक की असफलता –

1. राजनीतिज्ञों का प्रभाव
2. हानि में वृद्धि
3. नौकरशाही का प्रभुत्व
4. भ्रष्टाचार को बढ़ावा
5. कुशलता में कमी
6. ग्राहकों सेवाओं में गिरावट
7. बढ़ती हुए आकाक्षाएं
8. वसूली में गिरावट

सुझाव –

1. बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन
2. पेशेवर प्रबन्ध
3. सरकार एवं बैंक नीति में सामन्जस्य
4. सेवा में सुधार
5. नवीनीकरण या आधुनिकीरण
6. बैंको की प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि

J.D.P.G. COLLEGE

- **भारतीय रिजर्व बैंक** RBI –

स्थापना – RBI Act 1934 के अन्तर्गत की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया।

रिजर्व बैंक के कार्य

RBI का प्रमुख कार्य बैंक नोटों के निगर्मन का नियमन करना तथा भारत में मौदिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हीत में संचालन करना हैं।

1. नोटो का निगर्मन
2. सरकार का बैंकर अभिकर्ता व सलाहकर्ता
3. बैंको का बैंक एवं अन्तिम ऋणदाता
4. समाशोधन कार्य
5. विदेशी विनिमय नियंत्रण
6. बैंकिग प्रणाली का नियमन
7. साख नियंत्रण
8. अन्य कार्य

1) **नोटों के निगर्मन का कार्य** – भारत में नोट निगर्मन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक है। रू.1 के नोट को छोड़कर अन्य सभी पत्र मुद्रा का निगर्मन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रू.1 के नोट का निगर्मन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। RBI की धारा 24 के तहत यह बैंक 2,5,10,20,50,10,500,1000,5000,10000 के नोट निर्गमित करता है। नोटों की छपाई के लिए नासिक (महाराष्ट्र), देवास (MP), मैसूर (कर्नाटक) तथा शैलबोनी (पश्चिम बंगाल) में प्रिटिंग प्रेस लगा रखी है।

2) **सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार** – रिजर्व बैंक केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों की बैंक अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान करना, मुद्रा हस्तांतरण एवं अन्य बैंकिग गति–विधियों को सम्पन्न करता है। सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी सरकारों को इसी बैंक के माध्यम से होती है।
केन्द्र व राज्य सरकारों के साधारण बैंकिंग के कार्यों का कोई प्रभार या शुल्क रिजर्व बैंक नही लेता है और न ही सरकारी खातों में जमा राशि पर ब्याज देता है। रिजर्व बैंक सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी सरकारों को आवश्यकतानुसार करता है। सरकारी प्रतिभूतियों का निगर्मन, धन संग्रह तथा प्रतिभूतियों पर देय ब्याज का भुगतान तथा इन प्रतिभूतियों के परिपक्व होने पर मूल राशि की वापसी तथा इन सबका अभिलेखन एवं लेखा RBI करता है।

3) **बैंको का बैंक एवं अन्तिम ऋणदाता** – शीर्ष बैंक होने के नाते RBI के बैंक व अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार व्यापारिक बैंको को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम 3% से 15% RBI के पास नकद जमा कराना होता है। इस नकद कोषानुपात कहते है। अनुसूचित व्यापारिक बैंको की आवश्यकता के समय RBI अन्तिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध करता है। ये बैंक अनुसूचित बैंको की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती अथवा पुनः कटौती करके बैंको को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता हैं।

4) **समाशोधन कार्य** – बैंको का आपसी निपटारा करने के लिए RBI द्वारा समाशोधन ग्रहों का संचालन किया जाता है। देश के प्रमुख 14 केन्द्रों पर RBI समाशोधन गृहों का प्रबन्ध देखता हैं।

5) **साख नियंत्रण का कार्य** – देश के आर्थिक विकास के उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सकें।

6) **विदेशी नियमन के कार्य** – रिजर्व बैंक देश के बहु–मूल्य धातु कोषों तथा विदेशी विनिमय कोषों को तथा विदेशी विनिमय अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति में बैंक इन कोषों द्वारा विनिमय दर से सापेक्षित स्थिरता लाने का प्रयास करता है।

7) **बैंकिग प्रणाली का नियमन** – रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह देश की बैंकिग प्रणाली का नियमन इस तरह से करें जिससे की लोगों का बैंकिग में विश्वास बना रहे। इसके अधिनियम के अन्तर्गत RBI को बैंको के नियमन हेतू व्यापक अधिकार प्राप्त है – 1. लाइसेन्स, 2. प्रबन्ध, 3. शाखा विस्तार, 4. निरीक्षण

8) **अन्य कार्य :–**

i) **जमाएँ स्वीकार करना –** जिस प्रकार व्यापारिक बैंक लोगों की जमाएँ स्वीकार करते हैं इसी प्रकार रिजर्व बैंक सरकार राज्य सरकारों, विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं से बिना ब्याज जमा स्वीकार करता हैं।

ii) **ऋण लेना**

iii) बहुमूल्य धातुओं का क्रय–विक्रय करना।

iv) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन–देन।

v) व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय–विक्रय।

vi) सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय।

भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृतियाँ

बैंक से तात्पर्य इस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रूपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रूपया देती है। इस प्रकार बैंक वे संस्थाएँ है जो धन का लेन–देन करती हैं। आधुनिक युग में विकास के साथ–साथ बैंक के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। अब बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नही है। बैको की क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसी कारण इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है।

वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार, ''बैंक व संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक प्रतिष्ठान है। जहाँ धन का जमा संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहाँ ऋण देने की एवं कटौती की सुविधाएँ प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है।

बैंकिंग की आधुनिक प्रवृतियाँ

1. **सार्वजनिक बैंकिग क्षेत्र का विकास –** स्वतंत्र भारत में बैंकिग की सबसे प्रमुख प्रवृति बैंको के राष्ट्रीयकरण की रही है। 1948 में सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में अधिगृहीत कर लिया गया। अप्रैल 1980 में 6 अन्य बैंको को राष्ट्रीयकरण की परिधि के अन्तर्गत ले लिया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की संख्या 27 है। जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 21 हो गयी हैं।
2. **अपूर्व शाखा विस्तार–** बैंको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंको की शाखा विस्तार नीति में आधारभूत परिवर्तन हुये हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंको को विशेष से ग्रामीण और अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए कहा गया, जहाँ किसी भी बैंक की कोई शाखा नही थी। 2015 को भारत में सभी बैंको की कुल शाखाये 131750 थी जिनमें से 48,478 शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थी जो कुल बैंक शाखाओं का 36.8% था।
3. **बैंको के एकीकरण को प्रोत्साहन –** भारतीय बैंको को सुदृढ़ एवं मजबूत करने की दृष्टि से तथा बैंकों को असफल होने से बचाने के लिए इनके परस्पर एकीकरण या विलनीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया गया है। कमजोर बैंको को आपस में मिलाकर एक नया बैंक बनाने व कमजोर एवं अनार्थिक बैंको को शक्तिशाली बैंक में विलनीकरण की प्रवृति, भारतीय बैंक की नयी प्रवृति रही है।
4. **ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं का आर्थिक विस्तार –** राष्ट्रीयकरण से पूर्व तक भारत में बैंकिग का विस्तार शहरी क्षेत्रो तक रहा की अब नवीन नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। ग्रामीण शाखाओं का भाग 22.2% से 36.8% हो गया। इस नीति के अन्तर्गत एक ग्रामीण बैंक केन्द्र 200 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तथा एक ग्रामीण शाखा 10 कि.मी. की परिधि में उपलब्ध होनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने देश में ''भारतीय ग्रामीण बैंक'' की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया।
5. **जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि –** पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक बैंकों की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। यह आशातीत वृद्धि लोगों में बैंको के प्रति बढ़ते विश्वास, बैंक शाखा के विस्तार, लोगों में बढ़ती बैंकिग आदतों तथा बैंको की नई आकर्षक योजनाओं को लागू करने से हुई।

बैंकर व ग्राहकों में सम्बन्ध

बैंकिंग का आशय ऋण लेने अथवा विनियोजन करने के लिए जमा प्राप्त करना जिसे मांगने अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटायी जा सके। चैंक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से निकाली जा सके। बैंकिंग कंपनियां अपने नाम के साथ बैंकर या बैंकिंग शब्द को प्रयोग अवश्य करती है।

ग्राहक – एक ग्राहक वह व्यक्ति है जिसका बैंक में खाता हो तथा वह नियमित रूप से बैंक से व्यवहार करता हो।

बैंकर व ग्राहकों के मध्य संबंध

सामान्य सम्बन्ध

1. ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर
2. प्रन्यासी के रूप में बैंकर
3. अभिकर्ता के रूप में बैंकर
4. परामर्शदाता के रूप में बैंकर

विशेष सम्बन्ध

1. बैंकर के अधिकार

i) गृहणाधिकार
ii) भुगतानों के नियोजन का अधिकार
iii) प्रतिसाद का अधिकार
iv) ब्याज, कमीशन, प्रभार आदि की वसूली का अधिकार

2. बैंकर का दायित्व

i) चैंक के भुगतान का वैधानिक दायित्व
ii) खातों की गोपनीयता का दायित्व

(A) **सामान्य संबंध –**

1. **ऋणदाता एवं ऋणी का संबंध** – जब राशि बैंक में जमा कर दी जाती है तो जमाकर्ता की नहीं बैंक की हो जाती है बैंक को इस राशि के बराबर की रकम मांग करने पर लौटानी होती है। वह इस राशि के विनियोग से लाभ भी कमाता है। इस स्थिति में वह एक ऋणी होता है तथा जब ग्राहक बैंक से राशि प्राप्त करता है तो वह ऋणदाता होता है।
2. **प्रन्यासी के रूप में बैंकर** – बैंक का उन वस्तुओं (धन, बहुमूल्य प्रपत्र, अन्य महंगी वस्तुएँ) को सुरक्षित रखने व मांगने पर वापिस लौटाने का दायित्व होता है वह एक प्रन्यासी के रूप में कार्य करता है।
3. **अभिकर्ता के रूप में** –बैंक अपने ग्राहको को अनेक सेवाएँ प्रदान कर एक अभिकर्ता के रूप में कार्यों का निर्वाह करता है।
   i) ग्राहक के चैको ऋण पत्रों पर ब्याज, लाभांश, ऋण की राशि आदि वसूल करना।
   ii) ग्राहक के चैकों प्रतिज्ञापत्रों, विनिमय जिलों आदि का भुगतान प्राप्त करना।
   iii) ग्राहक की ओर से प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय करना।
   iv) ग्राहक के धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना।
4. **परामर्शदाता के रूप में बैंकर** –बैंक अपने ग्राहक को सलाह भी दे सकते है। बैंक की बडी सद्भावना, ईमानदारी एवं ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सलाह देनी चाहिए अन्यथा उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता ळै।

(B) **बैंकर का अधिकार –**

1. **ग्रहणाधिकार** – a) विशिष्ठ गृहणाधिकार b) सामान्य गृहणाधिकार
2. **समायोजन का अधिकार** –सामायोजन के अधिकार के अन्तर्गत बैंक अपने किसी ग्राहक के विभिन्न खातों में जमा राशि को उसी ग्राह के नाम शेष वाले खातों में परस्पर समायोजन कर सकता है। यह अधिकार एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में खोले गये खातों के सम्बन्ध में लागू होता है।
3. **प्रतिसाद का अधिकार** – बैंक को किसी एक ही ग्राहक के दो या दो से अधिक खातों में प्रतिसाद करने का अधिकार है। बैंक ग्राहक की किसी खातें में जमा शेष राशि का नाम शेष वाले खातें में स्थानांतरित कर सकता है।

बैंकर का दायित्व –बैंकर एवं ग्राहक के सम्बन्धों के बीच जहाँ बैंक के अधिकार है वही कुछ उत्तरदायित्व भी हैं –

i) चैकों के भुगतान का दायित्व
ii) अधिविकर्ष की सुविधा
iii) खातों की गोपनीयता का दायित्व

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार व नरसिम्हम समिति की प्रमुख सिफारिशें

भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया गया। जिनमें व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण, ग्रामीण क्षेत्रो में शाखा विस्तार आदि अनेक कार्यक्रम प्रमुख है। बैंकिंग व्यवस्था में इतनी प्रगति होने के बावजूद भी यह अनेक दोषों एवं समस्याओं से ग्रसित रही हैं। निम्न है –

1. **निम्न लाभदायकता** – भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में ऋण क्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं दुरूपयोग, धोखाधडी आदि के कारण लाभप्रदता में कमी आई है।
2. **अनर्जक सम्पत्तियों में वृद्धि** – भारतीय सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जक परिसम्पत्तियाँ में तीव्र वृद्धि हो रही हैं। जिनमें प्रमाणित परिसम्पत्तियाँ उप–प्रमाणित परिसंपत्तियाँ, हानि परिसम्पत्तियाँ आदि आते है।
3. **निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात** – भारतीय बैंको का पूँजी आधार कम एवं एक समान नहीं है। भारतीय बैंको के लिए पर्याप्त पूँजी के मापदण्ड की कोई भारित जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात की व्यवस्था भी नही थी। किन्तु 2013 को सार्वजनिक बैंको का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.3% था।
4. **स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा** – बैंको की अनिवार्य लेखा परीक्षा के बावजूद बैंक अपने तुलन पत्रों का बाह्य अलेकर अर्थात् ऊपरी दिखावट कहते हैं।
5. **खातों के रखरखाव में अनियमितताएँ** – बहुत से बैंको द्वारा खातों के परिचालन में व्यापक स्तर की अनियमितताएँ पाई गई है। प्राय एक बैंक अशोध्य खातों की पूरी जांच किए बिना दूसरे बैंको द्वारा ले लिया जाता हैं।
6. **दोहरा नियंत्रण** – भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सरकार तथा रिजर्व बैंक दोहरे नियंत्रण को प्रशासनिक दबाव व आवश्यकता से अधिक नियंत्रण के रूप में भारस्वरूप वहन कर रही है तथा राजनीतिक हस्ताक्षेपों का सामना कर रही है।

नरसिम्हम् समिति की रिपोर्ट / सिफारिशें

1. बैंकिंग क्षेत्र में ढ़ाचें को 3 या 4 बैंकों में पुर्नगठित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।
2. 8 से 10 राष्ट्रीय बैंको की शाखओं का जाल देशभर में फैला हो जो, 'सार्वभौमिक' बैंकिंग पद्धति पर आधारित हो।
3. स्थानीय बैंक परिचालन क्षेत्र विशेष तक समिति हो।
4. सार्वजनिक बैंको द्वारा एक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग सहायता इकाईयाँ खोली जाएँ तो इसकी सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण कर लें।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति हों।
6. शाखाओं के लिए लाइसेसिंग प्रणाली समाप्त की जाए तथा शाखाएँ खोलने अथवा बंद करने का काम संबंधित बैंको पर छोड़ा जाए।
7. विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाएं।
8. विदेशी बैंको से भी वही अपेक्षाएँ की जाए तो भारतीय बैंको से की जाती है।
9. भारतीय बैंको के विदेशों में परिचालन को तर्कसंगत बनाया जाएँ।
10. बैंक के कार्यों में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ाया जाए।
11. बैंकिंग आयोग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।
12. प्रत्येक अलग बैंक को अधिकारियों की भर्ती की अनुमति दी जाए।
13. पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निरीक्षण का काम आंतरिक लेखा परीक्षण तथा आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित हो।
14. बैंकिंग प्रणाली पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाव को दोहरा नियंत्रण समाप्त किया जाए तथा रिजर्व बैंक को ही विनिमयन का दायित्व दिया जाए।
15. बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक के नियंत्रण में एक अलग अर्द्धस्वायतापूर्ण प्रधिकारण बनाना चाहिए।

मुद्रा बाजार

भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रकाशन के अनुसार, मुद्रा बाजार वह केन्द्र है जहाँ अल्पकालीन ऋण अवधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा ऋणदाताओं को सरलता प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहां पर व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकार को प्रदान की जाती है जिन्हे इसकी आवश्यकता होती हैं।

विशेषताएँ –

1. भारतीय मुद्रा बाजार की यह विशेषताएँ है कि इसके स्पष्ट दो भाग है यथा संगठित क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र।
2. भारतीय मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंक ही कटौती गृहों के कार्यों को सम्पन्न करते हैं।
3. भारतीय मुद्रा बाजारों में व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं का विशिष्ठ रूप देखने मिलता है। यह देशी बैंको व साहूकारों के पूरक का कार्य सम्पन्न करते हैं।

भारतीय मुद्रा कोष के दर

1. मुद्रा बाजार में असंगठित भाग का होना।
2. ब्याज के दरो में भिन्नता
3. मुद्रा बाजार के विभिन्न केन्द्रों में प्रचलित ब्याज की दरों में असमानता
4. असंगठित एवं विकसित बिल बाजार का अभाव
5. मुद्रा बाजार में विशिष्ठ संस्थाओं का अभाव
6. सुसंगठित बैंकिग व्यवस्था का अभाव

- **भारतीय मुद्रा आधारों के दोषों को दूर करने के सुझाव :–**

1. **मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण –** असंगठित मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए आवश्यकता है कि असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जायें ताकि इसकी मौद्रिक नीति प्रभावी आधार पर क्रियान्वित की जा सकें। जब तक RBI का नियंत्रणनहीं होता तब तक बाजार का स्वरूप सुदृढ नही होगा।

2. **बिल बाजार का विकास –** बिलों की कटौती साख नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है। विकसित मुद्रा बाजार के लिए एक विकसित बिल बाजार का होना आवश्यक है ताकि साख व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

3. **समाशोधन गृहों की संख्या में वृद्धि –** मुद्रा बाजार के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि देश की बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

4. **ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार –** देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि कृषि वित्त के क्षेत्र में देशी बैंकरों के प्रभुत्व को कम किया जा सकें।

मौद्रिक नीति

किसी देश की सरकार अथवा केन्द्रिय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए (जैसे मूल्य स्थिरता, विनिमय में स्थिरता पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास) संचालन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रंबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है।

प्रो.हैरी जॉनसन के अनुसार – मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केन्द्रिय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है।

उद्देश्य –

1. **कीमतों में स्थायित्व –** कीमतों के अत्यधिक उतार–चढाव को रोकना होता हैं। मौद्रिक नीति में आवश्यक परिवर्तन द्वारा कीमत–स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण चलों की गति को सीमित किया जा सकता है।

2. **पूर्ण रोजगार की प्राप्ति** – बचत और विनियोग में साम्य स्थापित करके पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति भी मौद्रिक नीति का स्वभाविक उद्देश्य होता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त किये बिना किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

मौद्रिक नीति की उपयोगिता एवं महत्व

1. **आर्थिक विकास** – मौद्रिक नीति अपने विभिन्न प्रत्यत्नों जैसे– कीमत स्थिरता, पूर्ण रोजगार आदि के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती हैं। सरकार मौद्रिक नीति के द्वारा बचतों व विनियोग को संतुलित करके मुद्रा–स्फीति की दिशा में भी आर्थिक प्रगति को संभव बना सकती हैं।
2. **पूंजी निर्माण** – जहाँ उपभोग प्रवृति ऊँची व प्रति व्यक्ति आय कम होती है वहाँ मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार बचतों को प्रोत्साहित कर ऐसे कार्यों में लगा सकते है जिनसे आर्थिक विकास में वृद्धि हों।

मौद्रिक नीति के उपकरण / उपाय

	साख नियंत्रण के उपकरण		साख सुविधा विस्तार के उपकरण
1	बैंक दर	1	वित्तीय संस्थाओं की स्थापना संचालन विस्तार
2	नकद कोषानुपात	2	बैंक शाखाओं का विस्तार
3	खुले बाजार की क्रियाएँ	3	चलन मुद्रा का विस्तार
4	वैधानिक तरल कोषानुपात	4	बिल बाजार का विकास
5	रिपो दर	5	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
6	रिवर्स रिपों दर	6	प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएँ
7	चायनित साख नियंत्रण	7	गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधा
8	उपभोक्ता साख नियंत्रण	8	चयनित पुनर्वित एवं पुर्न कटौती सुविधा
9	नैतिक–अनुनय		
10	प्रचार–प्रसार		
11	प्रत्यक्ष कार्यवाही		

मौद्रिक नीति की कमियाँ

1. **विकसित बिल का अभाव** – मौदिक नीति में काफी प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी बिल बाजार का पर्याप्त विकास नही हो पाया है। विकसित बिल का बाजार का अभाव मौद्रिक नीति की सफलता का महत्वपूर्ण बाधा है।
2. **संतुलित एवं पर्याप्त बैंकिंग सेवाओं का अभाव** – भारत में 20 बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकिग सेवाओं का पर्याप्त विकास नही हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सेवाओं का नितान्त अभाव हैं।
3. **ऋणों की मौसमी माँग** – भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का आधार कृषि हैं कृषि क्षेत्र में ऋणों की मांग मौसम के अनुसार होती है। रिजर्व बैंक कृषि की मौसमी मांग के अनुसार मौद्रिक नीति में परिवर्तन करता रहता हैं।
4. **ब्याज दरों की भिन्नता** – भारत में संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार की दरों में पाई जाने वाली भिन्नत मौद्रिक नीति की सफलता की बड़ी बाधा हैं।
5. **बैंकिंग आदतें** – विकसित देशों में लोगों में बैंकिग आदत से अधिकांश मौद्रिक लेन–देन बैंकों के माध्यम से होते है जबकि पिछड़े देशों में पैंकिग सेवाओं के अभाव में लोग नकद लेन–देन से सौदे निपटाते है। जिसकी वजह से उसमें असंगठित मुद्रा बाजार का प्रभुत्व रहता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की गई मौद्रिक नीति 2012–13

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर डॉ. सुब्बाराव ने 17 अप्रैल 2012 को चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मौद्रिक एवं साख नीति का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज जारी किया। इसमें एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान समाष्ठि एवं मौद्रिक क्षेत्र में होने वाले विकास सूचकांकों पर प्रकाश डाला था वहीं

दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के प्रभावों का जिक्र करते हुए नई मौद्रिक एवं साख नीति की भावी संभावनाओं एवं नीतिगत उपायों पर ध्यान आकर्षिक किया हैं।

Unit-III

प्रश्न– विनिमय साध्य विलेख के अनादरण से क्या तात्पर्य है? किसी विलेख को अनादरित हुआ कब समझा जा सकता है?

उत्तर– जब चैक का धारक, चैक का भुगतान करने के लिए बैंक के समक्ष प्रस्तुत करता है और बैंक इसका भुगतान करने के लिए मना कर देता है तो इस चैक का अनादरण कहते हैं।

''विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 92 के अनुसार'' एक विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादरित तब कहा जाता है जब प्रतिज्ञापत्र का लेखक, बिल का स्वीकारक तथा चैक का आहार्ती इसका यथोचित भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान करने में असमर्थ रहें।

अनादरण की दशायें :–

- चैक भुगतान रोक दिया
- ग्राहक की मृत्यु
- ग्राहक पागल
- कुर्की का आदेश आ जाना
- ग्राहक के जाली हस्ताक्षर
- उत्तरवीत्तिय चैक
- व्यक्ति का व्यवहार संदिग्ध
- पृष्ठांकन अनियमित
- ग्राहक खाता बंद हो
- खाता बंद का नोटिस
- खाते में अपर्याप्त राशि।

यथाविधि भुगतान – धारा 1 के अनुसार यथा विधि भुगतान ऐसा भुगतान होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार में विपत्र है, उस विपत्र के स्पष्ट आशय के अनुसार सद्भाव से तथा बिना असावधानी के ऐसी परिस्थितियों में किया जावें।

विशेषताएँ :–

1. **वास्तविक स्वामी का भुगतान** – यदि कोई चैक किसी व्यक्ति के आदेशानुसार देय है और यदि व्यक्ति द्वारा पृष्ठाकिंत नही किया गया है तो अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किया गया भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं माना जा सकता है।

2. भुगतान ऐसे परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिससे विपत्र के धारक और उसका भुगतान लेने के अधिकार के बार में कोई संदेह न हों।

3. **बैंक की खिडकी पर भुगतान नही** – एक रेखांकित चैक का भुगतान एक बैंक को ही किया जाना चाहिए। ऐसे चैंक का बैंक की खिड़की पर किया गया। भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं माना जा सकता।

भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949

1939 में RBI ने सरकार के समक्ष यह सुझाव दिया कि बैंकिंग स्थिति में सुधार हेतु कानून बनाया जाएँ। 1934–44 में सरकार ने Companise Act में एक बार पुनः संशोधन किया तथा Banking नियंत्रण के लिए

RBI को और अधिक अधिकार दिये। फिर 1965 में इसका नाम बदलकर बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 रख दिया गया।

विशेषताएँ –

- असंतुलित बैंकिंग विकास
- प्रबन्ध व्यवस्था
- अचल सम्पत्ति पर ऋण देना
- वास्तविक स्थिति प्रकट करना
- आधारभूति सिद्धांतों का पालन
- ऋण की सुरक्षा नहीं

प्रावधान –

- बैंक की परिभाषा
- बैंकिंग कार्य
- बैंको का प्रबन्ध
- प्रदत्त पूँजी
- संचित कोष
- लाभांश वितरण पर प्रतिबंध
- नकद कोष
- न्यूनतम तरल सम्पत्ति अनुपात शाखा विस्तार
- अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना

Unit-IV

मर्चेन्ट बैंकिंग

पूँजी बाजार में अंशों का अभिगोपन, समन्वय, प्रबंध, संरचना आदि सेवाओं को मर्चेन्ट बैकिंग सेवाएँ कहा जाता हैं।

कार्य –

- सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबन्ध
- प्रतिभूतियों का विपणन
- औद्योगिक इकाईयों का सुझाव देना
- विनियोग सलाहकार सेवाएँ
- ऋण संगठन बनाना
- परियोजना वित्त की व्यवस्था
- विलय, एकीकरण, पुर्नसंगठन पर सुझाव
- विदेशी पूँजी की व्यवस्था
- अनिवासी भारतीयों को विनियोग सेवाएँ
- भर्ती करना
- पट्टा वित्त व्यवस्था

वित्तीय प्रणाली – वित्तीय प्रणाली का संबंध मुद्रा साख तथा वित्त से होता है। वित्तीय प्रणाली से आर्थिक विकास के लक्ष्य किये जा सकते है। आर्थिक विकास के फलस्वरूप पूँजी निर्माण होता है।

J.D.P.G. COLLEGE

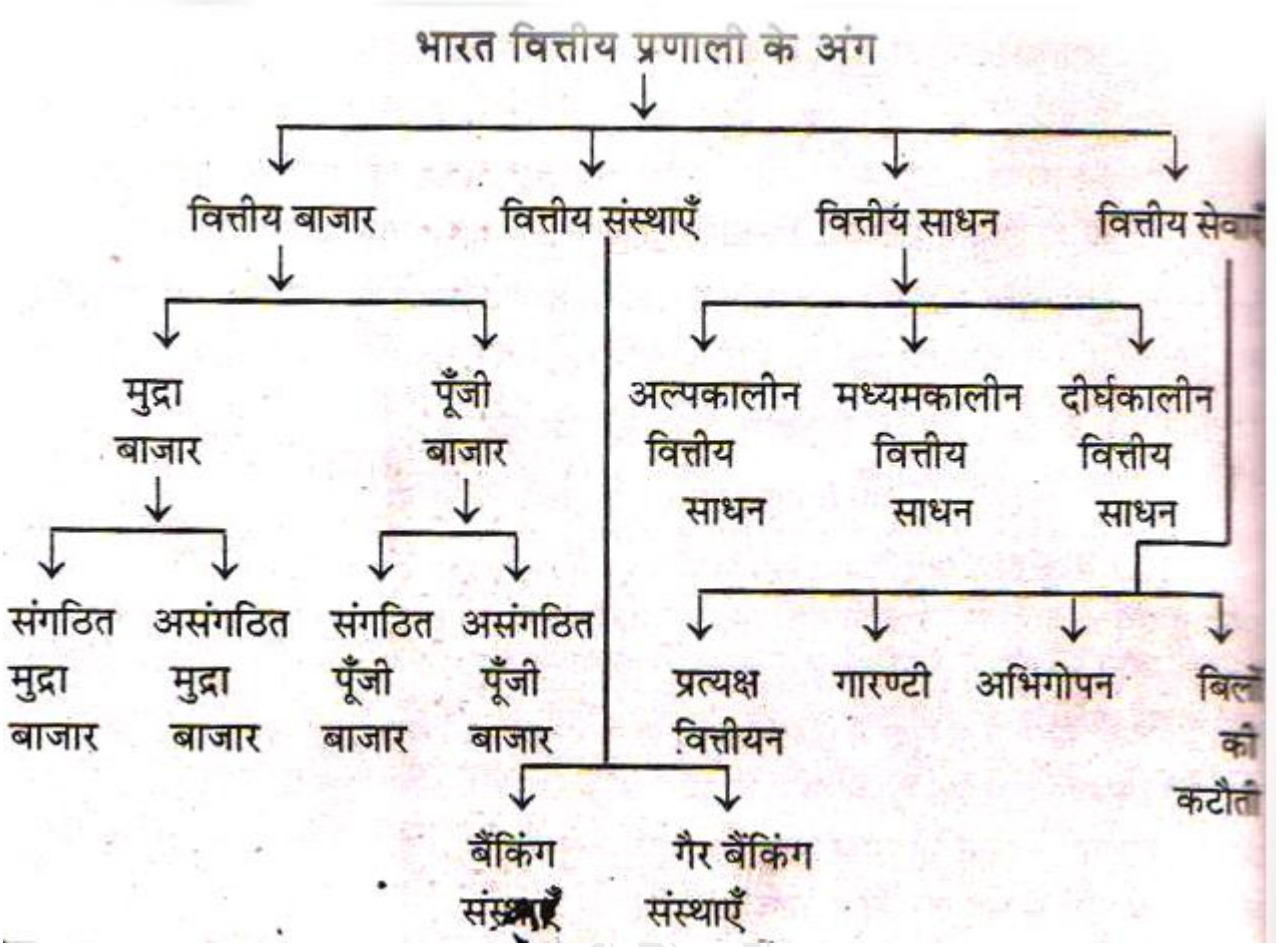

वित्तीय बाजार – यह एक ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों के लेन–देन को सुविधाजनक बनाती है।

वित्तीय साधन – वित्तीय बाजार के अन्तर्गत जिन प्रपत्रों के माध्यम से कोषों का विनियोजन होता हैं।

Ex. प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र।

वित्तीय सेवाएँ – वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार संबंधी कई सेवाएँ प्रदान की जाती है, ये सेवाएँ वित्तीय सेवाएँ कहलाती हैं।

Unit-V

- **पूँजी बाजार** – पूँजी बाजार ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष किसी मध्यस्थ के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूति का क्रय–विक्रय कर सकती है।

पूँजी बजार के दोष –

- आंतरिक व्यापार
- पारदर्शिता का अभाव
- पर्याप्त बाजार उपकरण
- सुपुर्दगी में देरी
- स्टॉक दलाली व्यवस्था दोषपूर्ण
- निवेशकों का अपर्याप्त संरक्षण

- स्कंध निवेश की अलोक प्रियता
- अलम्भ वस्तु बाजार का अस्तिव
- अकुशल बैंकिंग एवं डाक सेवाएँ

पूँजी बाजार के दोषो को दूर करने के सुझाव :–

- आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करना
- तरलता में सुधार
- प्रविवरण में पारदर्शिता
- कर रियायते देना
- मध्यस्थों की गतिविधियों की विनियमित करना
- स्कन्ध दलाली व्यवस्था को सरल

J.D.P.G. COLLEGE

B.Com. Part I

PAPER –II[nd]

-:: सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न ::-

प्र01. बैंक की परिभाषा दीजिए तथा एक आधुनिक कार्यों का वर्णन कीजिए।

प्र02. भारत में वाणिज्यिक बैंकों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए एवं सुधारने हेतु सुझाव बताइए।

प्र03. RBI की स्थापना एवं इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।

प्र04. NA BARD की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके प्रमुख कार्यों एवं प्रगति को स्पष्ट कीजिए।

प्र05. साख नियंत्रण से आप क्या समझते है। RBI द्वारा अपनाई जाने वाली साज नियंत्रण विधि का वर्णन कीजिए।

प्र06. मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है इसका उद्देश्य क्या है इसकी उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन कीजिए।

प्र07. विनिमय साध्य विलेख के अनादरण से क्या तात्पर्य है किसी विलेख को अनादरित हुआ कब समझा जा सकता है?

प्र08. यथाविधि भुगतान क्या होता है? कब बैंकर किसी चैक का भुगतान करने को न्यायोचित रूप से मनाकर सकता है।

प्र09. भारतीय बैंकिग (नियमन) अधिनियम 1949 की प्रमुख विशेषताएं बताइये।

प्र010. बैंकर व ग्राहक शब्दों की व्याख्या कीजिए बैंकर व ग्राहक के मध्य सामान्य व विशेष सम्बन्धों को समझाइय।

J.D.P.G. COLLEGE